पुस्तकालय

(2)

3041
30/12/09

सत्यमेव जयते

असंशोधित

2 2 DEC 2009

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
बी०स०पृ०सं० 1585 तिथि 30-12-09

श्री प्रदीप सिंह : (क्रमशः) इसमें बहुत अच्छा हुआ कि तीन महीने के अन्दर इसका निष्पादन कर दिया जायेगा लेकिन अपील की जो बात है, कुछ लोग कोलकत्ता में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुम्बई में रहते हैं, ऐसा भी होता है कि गरीब से गरीब को भी झगड़ा होता है, अगर उसको तीन महीने के अन्दर एक पक्ष को लेकर एक तरफा फैसला कर दिया जायेगा, उसको किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलेगी तो उसको मात्र एक माह का ही समय है, वह अपील करेगा कि क्या करेगा ? इसलिए समय को बढ़ाने की आवश्यकता है, कम से कम अपील करने का २ माह का प्रावधान किया जाय । आयुक्त के द्वारा नोटिश किया जाय तो कम से कम एक माह का समय दिया जाय । गरीब आदमी एक तो निरक्षर रहता है और वकालत की जानकारी लेगा तभी वह प्रमंडल में पहुंच पायेगा । उनके यहां से प्रमंडल दूर रहता है, लोग आते-आते परेशान हो जाते हैं, इसलिए इसपर ध्यान देने की आवश्यकता है। महोदय, मैं अपने तरफ से एक सलाह देना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा कई योजनायें चलायी जा रही हैं सड़कों का, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हो या मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना हो, सभी गांवों को एक्वायर कर लिया गया है लेकिन कुछ ऐसे गांव भी हैं, जहां रोड जाने के लिए रैयती जमीन है, उसको एक्वायर करने का कोई साधन नहीं है । इसलिए हम अपने तरफ से सलाह देना चाहेंगे कि जिस गांव में रोड जाने के लिए सरकारी जमीन नहीं है, रैयती जमीन है, उसको भी अधिगृहित करने का मामला होना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह ऐसा मामला फंसा हुआ है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि सरकार इसपर अमल करे । मैं इन्हीं चन्द शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ । जयहिन्द, जयभारत ।

जनमत जाने का प्रस्ताव

अध्यक्ष : सिद्धांत के विमर्श के बाद अब जनमत जानने का प्रस्ताव लेता हूँ । माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राय, डॉ० रामचन्द्र पूर्वे, श्री किशोर कुमार, डॉ० रामानुज प्रसाद, डॉ० अच्युतानन्द एवं श्री रामदेव राय द्वारा विधेयक को जनमत जानने का प्रस्ताव दिया है ।

क्या माननीय सदस्य श्री लाल बाबू राय, आप अपना प्रस्ताव मुव करेंगे ?

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

"कि बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक,२००९ दिनांक ३१ जनवरी,२०१० तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

महोदय, यह कानून, जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने दिया है, यह कानून बनाने से पहले काफी चिन्तन किया गया होगा और समस्यायें कैसे सुलझे, इसपर सरकार द्वारा चिन्तन करके इस संशोधन को लाने का काम किया । महोदय, कई हमारे माननीय सदस्यों ने बुनियादी समस्याओं के बारे में बताया है और अपने तरीके से जो धरातली स्थिति उनके नजरें में आती हैं, उसको उन्होंने बताया । इसी कड़ी

में मैं बताना चाहूँगा महोदय कि यह विभाग काफी उपेक्षित विभाग रहा है । कई सरकारें आयी और गई लेकिन इस विभाग को उपेक्षा के दृष्टिकोण से देखा और उसी का नतीजा है कि आज समस्यायें जटील से जटील बनती गई लेकिन इस सरकार ने इस विभाग पर जो कुछ भी ध्यान दिया जा रहा है, वह सराहनीय कदम है लेकिन अभी इतना से ही काम नहीं चलेगा महोदय । इसमें काफी तत्परता की आवश्यकता है । माननीय मंत्री काफी अनुभवी हैं और सरकार भी काफी चिन्तित है। हमारे कई माननीय सदस्यों ने कर्मचारी के अभाव के बारे में बताया । साथ ही साथ भूमि विवाद में पैमाईश की आवश्यकता पड़ती है, कई रेवेन्यू गांवों का जिला में नक्शा नहीं है । हरेक रेवेन्यू गांवों का नक्शा उपलब्ध नहीं है । इसलिए पटना आकर गुलजारबाग प्रेस जाते हैं, उनका शोषण होता है । इसलिए मैं चाहूँगा महोदय कि अगर भूमि विवाद को सुलझाना है तो आपको जिला में, नजारत में हरेक रेवेन्यू गांवों का नक्शा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो । जिससे कि अपने जमीन को पैमाईश के समस्या को सुलझाने में दिक्कते नहीं हों, यह इसी चीज का एक कड़ी होगा । साथ ही जो अभिलेख की बात है, आप अभिलेख का हस्तांतरण करने जा रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या आप सुलझाने जा रहे हैं । इसमें आपको संकल्प की आवश्यकता होगी । इसके संबंध में मैं आपको सुझाव देना चाहूँगा कि एक-एक जमीन अभी हमलोगों के दादा-परदादा के नाम से चल रहा है, इसको लेकर के कई बार झंझट हो जाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी ध्यान देगी, क्योंकि अभिलेखों का जो समीकरण है या जो आधुनिकीकरण है, वर्तमान में जो इसके धारक हैं, उसके नाम से कागज बन जाय । एक-एक आदमी का महोदय जमीन लिखाये हुए दो साल, चार साल हो गया लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं होता है, यह भी एक समस्या है । इसलिए मैं चाहूँगा कि ये सारी समस्यायें पर सरकार ध्यान दे । बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर सरकार का ध्यान है । अगर यह समस्या सुलझ जाती है तो बहुत बड़ा तबका जो केस के चक्कर में पड़कर के मरता है और खासकर के गरीबों को न्याय नहीं मिलता है । मैं चाहूँगा कि तत्परता से इस कानून को लागू करके सरकार गरीबों को न्याय दे, भूमि विवादों को सुलझावे।

.... क्रमशः ....

....क्रमशः..

श्री लाल बाबू राय : माननीय सदस्यों का जो सुझाव आया है, उसको इम्पलीमेंट किया जाय । महोदय, मैं चाहूंगा कि जो जमीन दान देते हैं, उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जाय । हर विकास का कार्य आपके जमीन पर ही संभव है । कई बार समस्या आती है कि अस्पताल बनाना है लेकिन जमीन नहीं मिल रही है । माननीय मंत्री, विभागीय लोग कहते हैं कि हम दानदाता का नाम लिखा देंगे, फिर भी वे जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं रहता है और अगर जमीन देने के लिए तैयार है भी तो उस व्यक्ति को शुल्क माफ नहीं है । अब उसके लिए जाइए सी०ओ० के यहां और उनसे लिखवाइए, डी०एम० के यहां जाइए और वहां से लिखाकर लाइए तब जाकर जमीन दो । तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि विकास के कार्य में इस विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा मानना है कि उसका शुल्क माफ यहीं पर कर दिया जाय कि ताकि जो कोई जमीन दान देना चाहता हो राज्यपाल के नाम से अस्पताल बनाने के लिए, सरकारी भवन बनाने के लिए, कोई भी विकास कार्य के लिए ताकि वह स्वेच्छा से दान दे सके, न कि उसको चक्कर लगाना पड़े विभाग में और न ही उनको सी०ओ० और डी०एम० के यहां जाना पड़े । अगर वे जमीन का दान भी देना चाहते हैं तो समस्याओं के चलते दान नहीं दे पाते हैं तो इसका निराकरण सरकार की तरफ से होना चाहिए । तीसरी बात यह है कि जो भूमिहीन हैं, बहुत सारे लोग भूमिहीन हैं, और भूदान से जो जमीन मिला है और जिसका वितरण नहीं हुआ है तो सक्षम होगा उसको वितरण कराने में और दखल कब्जा कराने में, साथ-ही-साथ गरीबों के प्रति न्याय होगी । जो उनका हक मारा जाता है, उसको दिलाने में सरकार सक्षम होगी । जय हिन्द !

श्री रामचन्द्र पूर्वे : अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के गंभीर विषय के समाधान हेतु इस विधेयक को लाया गया है - भूमि विवाद निराकरण विधेयक, २००९ । जब कभी-भी भूमि की चर्चा होती है, भूमि का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व रहा है और इसी भूमि के चलते, इसी भूमि विवाद के चलते महाभारत की लड़ाई हुई थी । महोदय, भूमि विवाद का जो गहराता हुआ बिहार में मामला है, उसी के चलते १९७६ से लेकर अबतक करीब ६६ नरसंहार हुए हैं, ६६ भूमि विवाद को लेकर । महोदय, जब भूमि से संबंधित कोई विधेयक पर चर्चा होती है तो दो तरह की बातें पूरे समाज में प्रचारित होती है । भूमिहीन समझता है कि शायद इस विधेयक के द्वारा हमको जमीन मिलनेवाला है और जो भूपति हैं, उनको संशय हो जाता है कि कहीं-न-कहीं सरकार कोई ऐसा कानून बनाने जा रही है जिसके द्वारा भूमि पर जो मेरा आधिपत्य है, उस आधिपत्य को समाप्त किया जा सकेगा । महोदय, मैं सरकार की चालाकी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बंदोपाध्याय की अध्यक्षता में भूमि सुधार आयोग की जो अनुशंसा है, उसके गंध को भी इसमें नहीं लगने दिया है ताकि लोगों में कोई संशय उपस्थित नहीं हो सके । लेकिन महोदय सरकार ने चालाकी की है कि पिछले दफे जो उस आयोग की अनुशंसा आयी थी चर्चा होने के

चलते, जो एलेक्ट्रोलर पॉलटिक्स में जो प्रतिफल मिला है, उसी के चलते इस बार समाधान हो सका । इस बार सरकार सचेत हो गयी है, सावधानी बरतने का काम की है । ९ पृष्ठों का यह विधेयक है, १७ धारा है, अनुसूची भी है लेकिन कहीं भी बंदोपाध्याय का नाम इसमें नहीं है । भूमि सुधार आयोग जो है, उसकी अनुशंसाओं की चर्चा इसमें कहीं नहीं है । बटाईदारी के संबंध में बटाईदार और भूधारी का क्या संबंध होगा, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है ।

(क्रमशः)

डा० रामचन्द्र पूर्वे, क्रमशः.......... महोदय, कोई भी विधेयक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विवाद में हम सरलीकरण और हम सरलीकरण के लिए इस विधेयक को लाए हैं।

(इस अवसर पर श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

इसलिए आपका भूमि से संबंधित कोई भी विधेयक चाहे विवाद के सरलीकरण के लिए चाहे अनुसूचित जाति, वंचित या अभिवंचित को भूमि देने के लिए चाहे सिलिंग से फाजिल जमीन जो है उसके रिडिस्ट्रीव्यूशन के लिए अगर कोई विधेयक लाया जाता है तो भूमि संबंधी जो परिदृश्य अपने देश में है उसको भी समझना आवश्यक है। महोदय, अगर बिहार में भूधारियों की संख्या करीब ३५ हैं जिनके पास ६९० एकड़ से लेकर ३६६७ एकड़ जमीन है और दो सौ एकड़ से ज्यादा जमीन रखनेवालों की संख्या ५४७ हैं। अभी इन्टाईटिलमेंट की बात हुई अब कौन विवाद में नहीं है, लेकिन माननीय अरुण सिंह के नेतृत्व में अगर वहां लाल झंडा गाड़ दिया जायेगा तो महोदय कहीं न कहीं तो विवाद हो जायेगा। आप कहेंगे कागजी विवाद नहीं है, न्यायालय में विवाद नहीं है, कागज में विवाद नहीं है, न्यायालय में विवाद नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो सिलिंग से ज्यादा कोई जमीन नहीं रख सकता है, लेकिन आज भी कहिए तो नाम पढ़ दूँ महोदय। यह जो विवाद माननीय अरुण सिंह के नेतृत्व में जब लाल झंडा गाड़ा जायेगा तो न्यायालय के स्तर पर वह कोई विवाद नहीं होगा, लेकिन एक सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर वैसे विवाद हो जायेगा तो उस विवाद को सुलझाने का कोई उपाय इस विधेयक में नहीं है, लेकिन वह जो विवाद है या जो होने वाला है महोदय इसलिए एक चीज और अभी जो ये कह रहे थे मुटेशन का मामला तो यह बात ठीक है कि इसके चलते बहुत सा प्रोब्लेम यहां हो रहा है। मुटेशन का जो मामला है महोदय यह करीब २००२ से लेकर २००७ तक का है- ४३ लाख ७३ हजार २३२ । तब से प्रयास होता रहा है और प्रयास हुआ तो अभी भी १ लाख ४३ हजार करीब मुटेशन का मामाला अभी है। हम लोग अब नहीं जानते हैं और इंस्टीच्युशन को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जमीन के मामले के जो इंस्टीच्युशन है उसके विरोध में आपको भी जानकारी है और हमको भी जानकारी है और सब को जानकारी है, लेकिन कोई आदमी यहां कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और जैसा कि माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद ने उन चीजों के विषय में प्रकाश डालने का काम किया है। महोदय, इतना ही नहीं आपको जानकर आश्चर्य होगा महोदय कि अभी जो मामाला हमारे मित्र ने कहा कि विभिन्न न्यायालयों में मामला है तो मेरे कहने का मललब है कि क्या यह सक्षम प्राधिकार बनाने जा रहे हैं डी०सी०एल०आर० के नेतृत्व में यानी डी०सी०एल०आर० हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में त्वरित निष्पादन नहीं हो रहा है जिसको न्यायमूर्ति कहते हैं, क्या न्यायमूर्त्ति के द्वारा त्वरित निष्पादन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या डी०सी०एल०आर० सुपर न्यायमूर्ति के रुप में काम करेंगे, गरीबों के हित में काम करेंगे क्या ? लैण्ड रिफार्म्स अफसर क्या होते हैं हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, क्या वे सुपर न्यायमूर्ति के रुप में वहाँ काम करेंगे और गरीब के हित में काम करेंगे क्या।

एक है समाजशास्त्रियों ने जो अध्ययन किया है उसमें स्पष्ट तौर से कहा गया है कि जितने भी- बुरा नहीं मानेंगे कि हैव्स और हैब्सनौट से जो अधिकारी पदाधिकारी होते हैं वही गरीबों के हित में निर्णय लेते हैं और हमारे ऐसे हैव्स से जो पदाधिकारी निकलते हैं वह चूँकि उनका वीजन दूसरा है, वह झोपड़ी वाला वीजन नहीं है, इसलिए उनके और न्याय में भी वीजन भी व्यक्ति का बहुत काउंट करता है, इसलिए इसपर भी महोदय ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्राधिकार से आप संपन्न करने जा रहे हैं डी०सी०एल०आर० को उसकी कुर्सी क्या सुपर न्यायमूर्ति के रुप में होगी कि नहीं। महोदय, हमलोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता दरबार में हमारे पास विभिन्न तरह के लोग आते हैं और ज्यादा विवाद इसीतरह के मामले में उठाया जाता है तो जिस जनता के लिए अभी सिद्धान्त पर चर्चा हुई, अभी बहुत सारी बातें स्पष्ट हो गयी, लेकिन जिस जनता, बिहार की जनता दो तरह की जनता एक भूमिहीन है जिनकी जमीन विवाद में पड़ी है और जिनको है तो अरुण सिंह जी के नेतृत्व में लाल झंडा वहाँ पर गाड़ा जायेगा और वे बेदखल हो जायेंगे तो वैसे लोगों की बीच में जनमत जानने के लिए क्या वह विधेयक परिचारित नहीं किया जायेगा, जनमत जानने के लिए इसलिए क्या है, महोदय हम ही लोग विशिष्ट नहीं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिमाग में जो ऊपज हुयी और उन्होंने अपने साथियों से विमर्श किया होगा और इसको बनाने का काम हमारे अधिकारी, पदाधिकारी किए होंगे और हमलोग इसपर डिस्कसन कर रहे हैं, लेकिन एक थर्ड माईन्ड, आउट साईड दी हाउस ऐण्ड आउट साईड दी ब्यूरोक्रेसी एक थर्ड माईन्ड है जिसको हम जनता कहते हैं तो जनता के बीच में इसको जाने से इसका क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है और जब लोकमत महोदय हमारा जो संसदीय लोकतंत्र में जो हमारी प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली बनायी और नियमावली में जो विभिन्न औपचारिकता का निवेश किया जिसके तहत इन्होंने पुरःस्थापन के प्रस्ताव का विरोध किया वह भी है इसमें संशोधन में तो मेरे कहने का मतलब इसको जनता के बीच में इसको जाना चाहिए ताकि जनता भूमिहीन जनता है वह भी समझे कि भाई दलित से महादलित हमको बनाया गया और ३ डिसमिल जमीन अभी तक नहीं मिली है तो महादलित हम क्यों बनें। महादलित बनाना आज की कोई सामाजिक व्यवस्था में कोई उच्चस्थ विशेषण से संज्ञापित करना हमको नहीं है तो ३ डिसमिल जमीन उनको नहीं मिली तो उनको लगता है कि ३ डिसमिल जमीन प्राप्त करने के लिए सरकार से जो हमारा विवाद है वह विवाद इस विधेयक के द्वारा हल हो जायेगा और जो सिलिंग से फाजिल जमीन रखने वाले लोग हैं महोदय, हम नहीं दुहराना चाहते हैं कि लेकिन भूधारी जो वासगीत जमीन वाले भूधारी हैं उनके जमीन पर अन्य लोगों का कब्जा है, समय सीमा के भीतर दाखिल खारिज नहीं होता है, यह बहुत भारी काम है। अब कहा न कि १ लाख ४३ हजार दाखिल खारिज के मामले हैं और बहुत सारी रजिस्ट्री औफिस में भी एक ही जमीन है जो कभी शकील अहमद खाँ के नाम से लिखा गया और फिर वही जमीन रामचन्द्र पूर्वे के नाम से है और जमीन हम बेचते हैं मतलब एक ही जमीन है और हमारा

रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी ऐसा होशियार है, ऐसा बुद्धिमान है वह निरपेक्ष नहीं है वह सापेक्ष है। उसके तहत तीन तीन जगह उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, यही नहीं महोदय, सिलिंग से फाजिल जमीन अब सिलिंग टूट गया है, सिलिंग से फाजिल जमीन इन्होंने डिस्ट्रीव्यूट कर दिया, पर्चा दे दिया और हाईकोर्ट में सिलिंग टूट गया तो जो भूधारी हैं कहते हैं कि हाईकोर्ट में हमरी डिग्री हो गयी- अब तुम भागो। अब वासगीत पर्चा देकर के इन्होंने जमीन का कब्जा दिखाया, इन्दिरा आवास वहाँ पर बनवा दिया और भूधारी कहते हैं कि पुलिस की मदद से जिसको इनटाईटिलमेंट कहते हैं, इनटाईटिलमेंट जो है वह भी बदलता है समय के चक्र के चलते, एक जमाने में दरभंगा महाराज को इनटाईटिलमेंट था, लेकिन आज उनको इनटाईटिलमेंट नहीं है चूंकि अब है ज्यादा जमीन रखना यही इनटाईटिलमेंट के खिलाफ बात है। यह है इनटाईटिलमेंट, सोशल जस्टिस और सामाजिक परिवर्तन में यही इनटाईटिलमेंट है। इनटाईटिलमेंट की बात करते थे उसी तरह से महोदय भूदान यज्ञ की जमीन, अब उसका लोकेशन ही नहीं मिल रहा है फलां ने दे दिया, ताली बजी अखबार में नाम निकला और भूदान यज्ञ की जमीन कहाँ क्या पता ही नहीं चलता है। गैर मजरुआ जमीन का दखल होना उसके बाद सरकारी घोषणा के बाद भूमिहीनों को जमीन अबतक नहीं मिली तो भूमिहीनों का सरकार के साथ जो राजनीतिक विवाद जमीन के चलते हैं, उस राजनीतिक विवाद जमीन के चलते है उसका निराकरण क्या इस विधेयक में हो सकेगा शिवचन्द्र राम जी। अब भमिहीनों का जो विवाद है गवर्नमेंट के साथ उसका है इस विधेयक में चर्चा, दूसरा भू-अर्जन महोदय, बहुत सारी सरकारी योजनाओं के लिए भू-अर्जन होता है, भू-अर्जन के लिए हमलोग जो समुचित मुआवजा होता है उसको नहीं मिलता है और कभी कभी लोग मतलब पहले ऐसा हुआ होगा कि राशि उसके लिए आवंटित की गयी, निर्धारित की गयी लेकिन इस बीच जमीन का भाव बढ़ गया तो तुरंत आकर कहता है कि पहले जमीन की कीमत १० हजार रुपये थी, लेकिन अब वह १ लाख रुपये हो गयी है तो उस १ लाख के भाव से हमको उसका बढ़ा हुआ रेट मिलना चाहिए ।

क्रमशः.............

डॉ० रामचन्द्र पूर्वे: क्रमशः इसलिए महोदय मेरा आपसे निवेदन होगा कि साहब यह बड़ा हमीं लोग माइंड को कमांड नहीं करते है । जो शोषित है , पीड़ित है उनका भी मुरकट्टी मेथड है एक दिहात में मुरकट्टी मेथड है ।अभी हम) इस पर नहीं समझते हैं कि गांव में इसपर लोग सुनता होगा । लेकिन गांव के लोगों को इसके विषय में एक संशय की भी स्थिति भूधरियों में होगा । बंटाइदारों में भी संशय की स्थिति होगी कि हम बंटाईदारी के लिए कहीं हमारा छिन न ले । नीतीश बाबू कहीं छिना न लें । यह भी हो रहा है ।मतलब उस पर गवर्नमेंट साइलेंट है । तरह तरह का बयान आ रहा है कि ना भाई अब मतलब कि जमीन जैसे मनी पर देले था उ जो है क्या कहते हैं कि बटाईदार है उसको नहीं होगा बार बार धमकाते हैं कि इसको आप लोक मत जानने के लिए भेजिये ताकि जो आशा है और जहां संशय है दोनों का निवारण हो और राजनैतिक रूप से जो समाज परिवर्तन की प्रक्रिया भूमि के बाबत चल रही है भूमि का डिस्ट्रीब्युशन सिर्फ हमने शुरू में कहा था हम नहीं पुरानी बात कहना चाहते हैं । लेकिन लैंड रिफौम्स के विषय में महोदय जो समाज शास्त्री हैं आपके परमिशन से मैं पढ़ देना चाहता हूं-

land reforms is an essential precondition for the process of transformation from feudal and semi-feudal society to modern Socialistic society.That is why the question of land reforms cannot be seen only in the form of distribtion of celling-surplus land among poor peasants. In the process of land reforms old classes are destroyed and new classes are born; economic, political and social power get transferred. With the birth of new classes the forms of agricultural production also change, techniques also change, the foundation for the relations between people involved in the production changes. Along with this new social and cultural values are also built up. As a whole it can be said that the entire social composition changes.

महोदय, भूमि का सवाल साधारण सवाल नहीं है । बहुत तरह के मुहाबरा गांवों गंवई में है ।

सभापति (श्री अब्दुलबारी सिद्दकी): अब आप कंनकुलुड करें ।

डॉ० रामचन्द्र पूर्वे: महोदय, इसलिए मेरा एक ही आपसे निवेदन होगा चूंकि महोदय आप भी इससे जुड़े हुए हैं । आप लैंड रिफौर्म के बड़े भारी प्रवक्ता हैं । इसलिए सोशल डायमेंशन, टोटल आसपेक्ट आशा निराशा में परिणत नही हो, संशय जो है उसका भी निराकरण हो जाय । ए भइया तोरा ज्यादा दिन तक जमीन न रखेके हउ । फाइनल इन सारे चीज का क्लेरिफिकेशन तभी होगा कि जब कोई चीज पर विवाद हो, कोई चीज पर संशय हो तो जनता के बीच जाने दीजिये । जिस तरह से इलेक्ट्रोल पालटिक्स में हम सुपर पावर के बीच में जाते हैं उसी तरह से इस विधेयक को भी सुपर व्हेयर सोवरनेटी लाइज जहां पर जनता है गरीब जनता है वहीं पर राष्ट्र की सोवरेनेटी लाइव करता है उसी सोवेरेनटी को डिसाइड करने दीजिये Whether it is for poor or it is for feudal. धन्यवाद ।

सभापति (श्री अब्दुलबारी सिद्दकी): मा० सदस्य, श्री किशोर कुमार ।

श्री किशोर कुमारः सभापति जी, बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक, २००९ दिनांक ३१ जनवरी, २०१० तक जनमत जानने हेतु परिचारित किया जाय । महोदय, इसी सदन में और वर्तमान सरकार प्राधिकार और आयोग बनाने के लिए इतिहास में इसका नाम जाना जाएगा । इसी सदन में पुलिस प्राधिकार बना, शिक्षा प्राधिकार बना, और फिर आज क यह भूमि विवाद के लिए भी प्राधिकार बन रहा है महोदय । और आयोग के भी मामले में एक से एक महोदय आयोग बना, जो रिपोर्ट आया उसको ठंढे बस्ते में डाल दिया गया । सरकार का करोड़ो रूपया खर्चा हुआ, सरकार का रेवन्यु खर्चा हुआ, एक्सपेंडीचर हुआ लेकिन उसका कोई फलाफल नहीं निकला । हां, एक बात जरूर हुआ जो जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए उसमें संशय पैदा हुआ । यह सही है जमीन इतना महत्वपूर्ण होता है चूंकि यह सही है कि उद्योग १६०० ई० में आया ।

क्रमशः

श्री किशोर कुमार : ...क्रमशः ...

उद्योग १६०० में आया लेकिन उसके पहले सभ्यता संस्कृति जमीन से ही लोगों की शुरू हुई और जमीन से ही लोगों का लगाव रहा लेकिन यह सही है कि जमीन के मामले में कुछ बड़े जमींदार लोग कुछ चंद लोग थे जिनके पास पूरी की पूरी जमीन थी और लोग वंचित थे उसी के तहत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के तहत एक आंदोलन चलाया था और जिसके तहत लाखों एकड़ जमीन सरकार को भूदान आंदोलन में विनोबा भावे ने सरकार को देने का काम किया था लेकिन महोदय आजतक उसमें एक सवा लाख एकड़ जमीन का तो पता नहीं चला है और कुछ जमीन को बांटा गया है, आज भी एक लाख से ऊपर जमीन है जिसको सरकार को बांटना था जिसमें से चार साल में मात्र २४ हजार एकड़ सरकार ने बांटा और सरकार ने घोषणा की थी कि हम १०१ अपर समाहर्त्ता को बहाल कर जमीन का बंटवारा करेंगे लेकिन आजतक जमीन का बंटवारा महोदय नहीं हुआ और जमीन के चलते सरकार कहती है कि इन्दिरा आवास के लिये जिसको घर बनाने के लिये, इन्दिरा आवास के लिये पैसा मिलता है उसको पर्चा मिला हुआ है उसको दखल नहीं देने दिया जा रहा है यह प्राधिकार निर्णय करेगा तो सभापति महोदय जो गरीब आदमी को पर्चा मिला हुआ है उसमें प्राधिकार क्या करेगा, प्राधिकार का कहीं कुछ निर्णय नहीं होना चाहिये उसमें सीधा ऐडमिनिस्ट्रटिव व्यू लेकर जो पर्चाधारी है उसको जमीन पर कब्जा दिलाना चाहिये उस पर स्वामित्व दिलाना चाहिये जिससे वह घर बना सके अपना लेकिन सरकार की पता नहीं कौन सी मंशा है महोदय कि सरकार उस ओर ध्यान देना नहीं चाहती है । दूसरी बात महोदय यह है कि डी०सी०एल०आर० की अध्यक्षता में जो प्राधिकार काम करेगा उसमें उसके पास हैंड्स की कमी होगी, उसको दिया हुआ है कि चूंकि उसको जांच करने का अधिकार होगा, रिपोर्ट मंगाने का अधिकार होगा और वह सारा काम जो प्रशासनिक तंत्र में बैठे हुए लोग हैं लेकिन जो सही स्थिति है कि चार-चार पंचायत पर एक सी०ओ०, एक-एक ब्लॉक में, दो-दो ब्लॉक में सी०आई० का पोस्ट कम है, नहीं है, सी०आई० नहीं है, सर्किल आफिसर नहीं है, बी०डी०ओ० के द्वरा चलता है और यह स्थिति है कि लाखों लोग गरीब गुरबा लोगों को जमीन का पर्चा मिला हुआ है वह ब्लॉक में, पंचायत में, कर्मचारी पीछे घूम रहा है उसको कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, आज भी जिसको दाखिल खारिज दिलाया जाता है सरकार बड़े दावे आप देखियेगा महोदय, ०५-०६, ०६-०७ में, ०७-०८ में, ०८-०९ में जो सरकार का आंकड़ा देखियेगा तो लाखों लाख में दाखिल खारिज का आंकड़ा दिखाया गया है लेकिन यह कहा जा रहा है कि शिविर लगाया जा रहा है लेकिन शिविर में उसी आदमी को पर्चा दिया जाता है जो आदमी पहले पैसा देकर और पैसा देकर यह आप उसको पर्चा दिया जाता है उसी आदमी को शिविर में दिया जाता है । हम आपके माध्यम से चाहते हैं महोदय कि जो पहले व्यवस्था थी, जो विकेंद्रीकरण था लोगों को सस्ता न्याय कैसे मिलेगा, सस्ता न्याय गांव में मिलता था, सस्ता न्याय प्रखंड में मिलता था, गरीब आदमी को आना पड़ेगा जिला मुख्यालय और जिला मुख्यालय में डी०सी०एल०आर० का बड़े पैमाने पर चूंकि एक जिला में किसी जिला में २७ प्रखंड है, किसी जिला में १० प्रखंड है और बड़ा बड़ा जिला का काम एक

डी०सी०एल०आर० से नहीं हो सकता है । उसके लिये ज्यादा से ज्यादा पद सृजन करना पड़ेगा जो महोदय में ब्लॉक में मिल जाता था, गांव में मिल जाता था न्याय, जो विकास शिविर गांव में लगता था, सी०ओ० साहब, सी०आई० साहब, सर्किल आफिसर, कर्मचारी गांव में जाते थे वही दाखिल खारिज हो जाता था, वहीं जमाबंदी हो जाता था सारा काम हो जाता था अब उस आदमी को चक्कर लगाना पड़ेगा जिला मुख्यालय में और उसको दौड़ना पड़ेगा, यह स्थिति है । सरकार कहती है गरीब को सस्ता न्याय दिलायेगा, कैसे महोदय सस्ता न्याय मिलेगा यह हमारी समझ में नहीं आता है, इस कम से कम इस बिल को जनता के बीच परिचारित करना चाहिये जिससे जनता का भी मैनडेट आवे, जनता का भी विचार आवे जिससे यह बिल आम लोगों के हित में, जनता के हित में हो सके इसी लिये हमने जनमत परिचारित के लिये प्रस्ताव दिया ।

सभापति (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी) : माननीय सदस्य श्री रामानुज प्रसाद ।

डॉ० रामानुज प्रसाद : सभापति महोदय, इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाय इस प्रस्ताव के पक्ष में मेरा कहना है कि भूमि सुधार कार्यक्रम और भूमि सुधार कानून आजादी के बाद से देखा जाय तो पूर्व से ही एक मुद्दा बना हुआ है ।

...क्रमशः ...

डा० रामानुज प्रसाद, क्रमशः- यह विदित सत्य है कि अपने राज्य में या अगल-बगल के राज्यों में या देश में जो नक्सलवाद की समस्या है,जो आतंकवाद की समस्या है,उसके जड़ में महत्वपूर्ण है सोशल डिसपेरिटी और सोशल डिसपेरिटी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है,वह लैंड रिफौर्म्स इसके लिए माना जाता है कि बगैर लैंड रिफौर्म्स का यह नहीं होने वाला है, तो भूमि सुधार एक बहुत अहम मुद्दा है। सभापति महोदय,दो ही कारण है देश में,एक तो आतंकवाद फैला है धर्म की राजनीति पर और दूसरा जो सामाजिक असमानता है,एक आदमी कुंडली मारकर आज भी पॉच हजार बीघा, छः हजार बीघा, दस हजार बीघा, एक हजार बीघा,पॉच सौ बीघा जमीन पर बैठा हुआ है,तो सरकार की जो मंशा है,सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम इसको सरलीकरण कर रहे हैं,माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव लाया कि हम इसे विधेयक के माध्यम से सरलीकरण करने जा रहे हैं प्रावधान में लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है सभापति महोदय,इसको देखने से लगता है कि इस सरकार की जो लचर स्थिति है,सरकार में जो देखा जाता है व्यवहार में और जो देखा जा रहा है,इसलिए सरकार इस व्यवस्था के तहत मंत्री जी जितने भी प्रावधान ला दें,यह संभव नहीं है कि इसमें सुधार होने वाला है,चाहे इस संबंध में घोषणाएँ जितनी भी हुई है,सरकार की घोषणाओं का जो श्रृंखला है,उसमें एक पर एक सिर्फ जोड़ने का काम करेगा यह विधेयक भी। अगर सरकार चाहती है कि हम सही माने में भूमि विवाद को खत्म करें,माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि जो अंबार लगता है जनता दरबार में समस्याओं का,वह ज्यादातर समस्या भूमि विवाद से होता है। भूमि विवाद निश्चित तौर से हमारे राज्य के अभिशाप का एक बहुत बड़ा कारण है,देश में भी आज यह बहुत बड़ा कारण बना हुआ है नक्सलवाद का और आतंकवाद का,सरकार अगर चाहती है तो मैं इस सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मंत्री जी को और सरकार को, इसके लिए जिसतरह से प्राधिकार बना करके डी०सी०एल०आर०को यह अधिकार दिया जा रहा है,मैं यह विश्वास रखता हूँ,मेरी यह समझ है कि इसके लिए अलग से राजस्व एवं भूमि सुधार को बिल्कुल ही स्वतंत्र बनाया जाय,किसी भी परिस्थिति में जो हमारे पदाधिकारी हैं,वे एक चार्ज में नहीं है,अभी जो सरकार प्रावधान की है कि कुछ जिलों को राजस्व जिला,कुछ जिलों को प्रशासनिक जिला घोषित किया गया है और उन जिलाओं में कहीं बी०डी०ओ० से काम चलाये जा रहे हैं तो कहीं सिर्फ सी०ओ० से काम चलाये जा रहे हैं,पहले तो ऐसी व्यवस्था थी कि सिर्फ सी०ओ० ही इस कार्य को देखा करता था, सर्किल इन्सपेक्टर देखा करता था,राजस्व कर्मचारी देखा करता था लेकिन आज हमलोग देखते हैं,जब हमलोग जाते हैं ब्लॉक में,तो हमलोगों से कह दिया जाता है कि सी०आई० को फलॉने काम से भेजा गया है,कभी सी०ओ०साहब नहीं रहेंगे और यही स्थिति है डी०सी०एल०आर०का,डी०सी०एल०आर० भी सभी अनुमंडलों में नहीं है, डी०सी०एल०आर० भी डबल,ट्रिपल चार्ज में रहते हैं,डी०सी०एल०आर०एक काम को छोड़ करके कई काम को करते रहते हैं,इसलिए इस व्यवस्था में सुधार इसके द्वारा नहीं होने वाला है बल्कि सही में मेरा मानना है कि यह और उलझाने का काम होगा और डी०सी०एल०आर०साहब के यहाँ दौड़ते-दौड़ते हमारे लोग,गरीब-गुरुआ लोग और भूमि विवाद से ग्रसित लोग और ज्यादा दौड़कर परेशान हो जायेंगे,इसलिए इस एक्ट को यदि सरकार चाहती है कि ज्यादा

सापेक्ष,ज्यादा कारगर,ज्यादा धारदार बनें,तो जनता का मत भी इसपर जाना जाय,जनमत के लिए इसको परिचारित किया जाय,तब जाकरके निश्चित तौर पर जिसके लिए यह लाया जा रहा है,यह दलितों,महादलितों,अति पिछड़ों,पिछड़ों का ही मामला है,इसको कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज के जो हारनेस की बात कर रहे थे हमारे पूर्वे जी,यह हारनेस का मामला है,यह बिल्कुल हारनेस का मामला है, वैसे गरीब-गुरुओं का मामला है जो गुरुवत में जीते हैं,अशिक्षा में जीते हैं,यह विधेयक लाने के बाद भी वे लोग अवगत नहीं हो पायेंगे कि हमको क्या अधिकार मिला और इससे डी०सी०एल०आर० साहब को क्या अधिकार मिला,इसलिए सभापति महोदय,मैं चाहता हूँ कि इसपर जनमत संग्रह हो और इसको परिचारित किया जाय।

सभापति (श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी):- माननीय सदस्य डा०अच्युतानन्द।

डा० अच्युतानन्द : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :-

"कि बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक,२००९ दिनांक ३१जनवरी२०१०तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो "

महोदय, मैं इस विषय में मुझे कहना है कि चूंकि ९ करोड़ जनता बिहार का मालिक है और जो कानून बिहार सरकार बनायी है, बिहार सरकार की मंशा क्या है, इस विषय में जनता की भी राय जाहिर होना आवश्यक है । इसलिए मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि इसे दिनांक ३१जनवरी,२०१० तक जनमत जानने हेतु परिचारित कराया जाये ।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हू :

" कि बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक,२००९ दिनांक ३१जनवरी,२०१० तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

महोदय, बिहार भूमि सुधार आयोग १९५० में ही बना और हदबंदी बिल १९५५ में पेश हुआ और ९ सितंबर,१९७०को यह लागू हुआ । इस बीच भारी संख्या में फर्जी प्रकिया अपना कर गरीब जोतेदार को जमीन से बेदखल किया गया । मैं तो चाहूंगा कि भाषण के बाद एक कॉपी सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दूं ताकि सरकार की आंख खुले, जनता के दरबार में हमलोग रिपोर्ट को भी देना चाहते हैं । यह कांग्रेस के तरफ से श्वेत पत्र होगा । अगर माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे तो मैं उनसे मिल कर दूंगा।

व्यवधान

महोदय, इस जमीन की मिलकियत निर्धारण की तिथि १९जुलाई,१९ ४९ को सिफारिश की गयी थी । इस दिन कुमारअप्पा कमिटी ने हदबंदी संबंधी अपनी रपोर्ट पेश की थी। मौजूदा कानून में १९४९ के २२ अक्टूबर को कट ऑफ डेट माना गया, जिसे आप के आयोग ने तर्कसंगत नहीं माना ।

व्यवधान

मैं बोल रहा हूं ,चूंकि इसे जनमत संग्रह में जाना है । कहिये तो छोड़ दूं बात । आप की सलाह पर छोड़ सकता हूं जनता के बीच में इसे भेजने के लिये नहीं कहूं । इसे जनमत जानने हेतु परिचारित करने के संबंध में बोल रहा हूं । तो आप जैसा हुकूम देंगे, आपके हुकूम का पालन करेंगे । आपके हुकूम पर बिहार सरकार को चलना है एकाध साल ।

आयोग ने हदबंदी वाली जमीन पर फर्जी तरीके से हस्तांतरण किये जाने के मामले को फिर से खोलने और भूमि मालिकों के खिलाफ सख्त धारा के तहत आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुशंसा की है । महादेय, इस पर कितनी कार्रवाई हुयी । मैं यह जानना चाहता हूं । मगर आप कार्रवाई नहीं किये । मैं पहले भी कहा था मैं इसको दोहराना नहीं चाहता हूं, आसन इसे पसंद नहीं करेगा मैं आप को बताना चाहता हूं । बंधोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित भूमि सुधार आयोग ने २२ लाख से अधिक भूमिहीनों को भूमि देने की अनुशंसा की है ।आयोग के अनुसार १५एकड़ की मानक हदबंदी के लागू होने पर राज्य में

करीब २ लाख ९५ हजार ३०एकड़ अतरिक्त जमीन बड़े छोटे भूस्वामियों के कब्जे से मुक्त हो सकेगी । कितनी जमीन मुक्त की है आपने ? आयोग का मानना है कि राज्य सरकार को हदबंदी से फाजिल जमीन राज्य में मौजूद लगभग १७लाख भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के प्रति परिवार ६० से ६५डिसमिल से १ एकड़ तक की दर से बांट देना चाहिए थी, कितनी जमीन बंटी और ५.८४ लाख आवासहीन गैर-कृषि मजदूरों को प्रति परिवार १०डिसमिल जमीन देनी चाहिए थी, नहीं दिया । इसलिए शासन के रूख को देखते हुये मैं शौर्ट कर देता हूं । जनमत जानने के लिये परिचारित हो इसी के लिए मैं प्वायंट्स दे रहा हूं कि इस आधार पर जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाये ।

व्यवधान

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

एक-एक अक्षर कहिये तो इससे अच्छी किताब बनाकर आपके पास पेश कर दूं, अगर इजाजत हो । शासन को आप दो दिनों के लिये छोड़ दीजिये, मैं भूमि सुधार के लिये सारी चीजों का निराकरण करवा देता हूं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य आप आसन की ओर मुखातिब हो कर बोलिये ।

श्री रामदेव राय : आप सक्षम प्राधिकार बना रहे हैं, क्या आपने प्राधिकारको सौंप दिया ?

क्रमश :

टर्न-४८/सत्येन्द्र/२२-१२-०९

क्लिष्ट

श्री रामदेव राय(क्रमशः) कुछ तो आपने क्लिस्ट भाषा का प्रयोग किया है,आम जनता इस भाषा को नहीं समझ सकती है,मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ,आपको समझाने की जरूरत है,आपका फर्ज बनता है,आप फर्ज अदा कीजिये,बड़े भूमिस्वामियों से प्राप्त अतिरिक्त भूमि का वितरण अबिलम्ब कर दीजिये और प्राप्तकर्त्ताओं की सहायता के लिए जबाहर रोजगार गारंटी योजना प्रधान मंत्री रोजगार योजना के निर्देश को इससे जोड़ा जाय।

अध्यक्षः माननीय सदस्य,आप अपना स्थान ग्रहण करें।

सदन की सहमति हो तो ५ बज चुका है, १० मिनट के लिए सदन का समय और बढ़ायी जाय।

श्री रामदेव वर्माः महोदय, इसमें सभी मेम्बर को बोलने का मौका मिला है,सबाल है,आपने सर्वव्यापी बिल लाया है और हम सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि समय बढ़े लेकिन सदन में एक रेकर्ड जाय,एक विचार जाये वह रेकर्ड में दर्ज रहेगा तो इतिहास बतलायेगा।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार(मुख्यमंत्री): एक ही बात को माननीय सदस्य अपनी बात को हर बार कहें, इसकी क्या आवश्यकता है,एक बार में जितना कहना हो कह लें, इससे समय सदन का बच सकता है और जल्दी आप इस कार्य को निपटा सकते हैं लेकिन अगर हर बार नाम पुकारा जाय और हर बार वही चीज कहना शुरू करें तो रिपिटेशन होता है,उसकी क्या आवश्यकता है जिस अवसर पर बोलना हो एक बार आप सारी बातों को बोल दीजिये, उसके बाद अगर दूसरी बार आपका नाम आता है तो अधिक से अधिक अपना प्रस्ताव रख सकते हैं, तो इतना अगर कर लें, तो समय कुछ बचेगा।

श्री रामदेव वर्माः सवाल है,जो ऐक्ट और नियमावली है, उसके तहत जिन लोगों ने अमेंडमेंट दिया है, उसको जो कुछ भी बोलने का हक है, हम समझते हैं, उसको सीमितिकरण करना डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है।

अध्यक्षः सदन की सहमति हो तो निष्पादित होने तक सदन के समय को विस्तारित करते हैं।

(सदन की सहमति हुई)

श्री रामदेव रायः महोदय,हमारी तरफ से जो रिपिट हो, उसको प्रोसिडिंग से हटा दिया जाय इससे हमें खुशी तो होगी चूंकि आपके नियमावली में यह प्रावधान है, अच्छा तो यह होता माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन का समय बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको नियमावली से औमिट करवा दीजिये, प्रोसिडिंग में मत लाईए, कारण यह कि आपको संशोधन का मौका ही नहीं है,हम चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में एक अच्छी शुरूआत हो, कि सदन में यह विषय न लाया जाय और हम आपको जिम्मेवारी सौंपते हैं कि आप जो चाहें पास कर लीजिये,हमलोग बेकार मेहनत कर के आते हैं, कोई फायदा नहीं होता है,एक भी आप संशोधन नहीं मानियेगा जो आपके हित के लिए है,जिससे आप प्रभावकारी शासन

चला सकते हैं, वह भी बात आप मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब मैं सौर्ट में कह देता हूँ।

श्री शकील अहमद खां: अध्यक्ष महोदय,हम चाहते हैं कि १५ मिनट के लिए ही सदन का समय बढ़ाया जाय और माननीय सदस्य से कहा जाय कि रिपिट नहीं हो और स्पेसिफिक बात ही कहे जायें।

टर्न-49/22.12.2009/बिपिन

अध्यक्ष: माननीय सदस्य रामदेव राय जी, आप अपनी बात को एक सूत्र में रखें ।

श्री रामदेव राय: श्रीमान्, भूदान की जमीन के बारे में स्वयं माननीय मंत्री जी पिछले सदन में घोषणा किए थे कि सेवा निवृत ए0डी0एम0 को रख कर के हम इस जमीन का बंटवारा करेंगे । मैं समझता हूं कि आपकी यह घोषणा भी कागज पर ही रह गई । अब जब उसी कानून को, उसी विधेयक को फिर यहां डी0सी0एल0आर0 साहब के यहां भेज रहे हैं जिसके लिए आप ए0डी0एम0 की नियुक्ति करते और ए0डी0एम0 की सेवा आप ले सकते हैं । उसके अधीन और भी आप जवाबदेही दे सकते हैं और वह भी आप काम नहीं कर रहे हैं । कंट्रैक्ट करने की परिपाटी आप बना लिए हैं । अब तो आपकी सरकार भी कंट्रैक्ट पर ही रहेगी । इसलिए आप कंट्रैक्ट की सरकार हैं और कंट्रैक्ट की सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी हैं तो वह आपके अनुकूल काम करें। आपके अनुकूल काम करने पर आपको वाहवाही मिलेगी । इसलिए ए0डी0एम0 को जब आप रख रहे हैं तो ए0डी0एम0 को सारे ऐसे ...

श्री नीतीश कुमार,मुख्यमंत्री: सरकार तो पांच साल के कंट्रैक्ट पर ही रहती है और जनता के उपर है कि वह कंट्रैक्ट को आगे बढ़ाये ।

श्री रामदेव राय: हुजूर, यह संविधान का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है । सरकार पांच वर्ष के लिए नहीं है, सरकार पांच वर्ष के लिए जनमत के द्वारा निर्वाचित होती है और हम बहुमत होने पर सरकार बनाते हैं । हम आपके विपक्ष में बैठते हैं और आपको सहयोग देना चाहते हैं । मगर बाबू नीतीश कुमार जी की सरकार विपक्ष का सहयोग लेने के लिए तैयार नहीं है । वह जनता के लिए आंख मिचौली का काम करते हैं ।

चूंकि आप आए हैं सदन में, इसलिए सिलिंग की बात आपको कह कर मैं बैठ जाता हूं, समाप्त कर देता हूं श्रीमान् ।

बड़े-बड़े भूमिपतियों की हाल आप जानते हैं । मैं ठीक कह रहा हूं आपको तो जाना ही होगा । कैसे फर्जी जमीन, वह गरीब-गुरूवा जो बसा हुआ है जमीन पर उसको अपने नाम से, जिस जमीन पर वे बसे हुए हैं उसको बेदखल करके पर्चा कटा लिए हैं और उस पर्चे की जमीन को उसी के हाथ से बेच रहे हैं । सिलिंग की जमीन वैसी बहुत है । फर्जी जमीन है कि वह गरीब-गुरूवा की जमीन है जिस पर गरीब-गुरूवा बसा हुआ है उस जमीन को बन्दोबस्त करा दिए अपने नौकरानियों के नाम से और उसी जमीन को उसी के हाथ से बेच रहे हैं और ऐसी जमीन को आप पहचानिये और सारी जमीन ऐसी है जो जोत कर खा रहे हैं खतियान में नाम है पर लगान कायम नहीं है जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति होती है । पर्चा मिला है कब्जा नहीं है, अनुसूचित लोगों को जमीन दी गई, बेदखल है उस जमीन को भी जमीन्दारों ने जोत दिया । आप ऐसे केस को कहां दिखवायेंगे ? यही जरूरत है प्रवर समिति में सौपने की । ऐसे जो विवाद हैं श्रीमान्, इसी को प्रवर समिति में सौपने की जरूरत है क्योंकि आपने ऐसा कोई प्रावधान इस न्यायिक प्राधिकार के साथ नहीं किया , इसलिए मैं समझता हूं न्यायिक प्राधिकार आप गरीब जनता को भूल भूलैया में रखने के ख्याल से गठन कर रहे है जिसमें आपको कामयाबी हासिल है । अगर करना चाहते हैं तो वे सारे गरीब जनता से जुड़े हुए सवालों को, सरजमीन की समस्याओं को आप उन पदाधिकारियों के जिम्मे दें जो गांव में रहते हैं । इसलिए मुख्यमंत्रीजी, आज फिर दुहरा देता हूं कि आपने ग्राम कचहरी की उपेक्षा की , ग्राम कचहरी को स्वायत्ता प्रदान कीजिए और जमीन के विवाद को गांव के स्तर पर सुलझाने के लिए उसको भी आप जवाबदेही दीजिए ताकि सरकार की मंशा पूरी हो सके और गरीब-गुरूवा न्याय पा सके ।

आप की मंशा है कि इसको शॉर्ट कर दूं, इसलिए आगे वाली बात मैं रिपोर्ट के रूप में टेबुल पर पेश करूंगा, आशा है कि इसको स्वीकार करेंगे । अपनी बात को यह कहते हुए कि इसे प्रवर समिति को सौप दिया जाए, सौपने की तिथि से दो माह के भीतर वह अपना प्रतिवेदन दे ।

टर्न-५०/मधुप/२२.१२.२००९

अध्यक्ष : प्रश्न यह है -

"कि बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक, २००९ दिनांक-३१ जनवरी, २०१० तक जनमत जानने हेतु परिचारित हो ।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं प्रवर समिति का प्रस्ताव लेता हूँ ।

प्रवर समिति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्य, श्री अनिल चौधरी एवं श्री रामदेव वर्मा द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव दिया गया है । क्या माननीय सदस्य, श्री अनिल चौधरी अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे !

श्री अनिल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ -

"कि बिहार भूमि विवाद निराकरण विधेयक, २००९ को एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से दो माह के अन्दर दे ।"

महोदय, सदन की भावना के अनुरूप दो-तीन बिन्दुओं की चर्चा करके अपनी बातों को समाप्त कर देना चाहूँगा कि विवादों के निपटारे के लिये, भूमि के बँटवारे के लिये जो-जो सवाल उठेंगे गाँव में और जिनके कारण परेशानी हो रही है जिसमें सबसे पहले कि रेकर्ड रूम में खतियान नहीं है, अंचल में नक्शा नहीं है, अमीन नहीं है, फुलवारीशरीफ तक में गाँव के लोग आते हैं और कह देता है कि आपके राजस्व भिलेज का नक्शा हमारे पास नहीं है । ऐसी स्थिति में जो विवाद हैं उनका निपटारा कैसे कर सकेगी सरकार, उसके लिये क्या-क्या करने जा रही है सरकार, यह जनता को बताना चाहिये । पर्चा की लड़ाई में महोदय, पर्चा के दखल करने और बेदखल हाने वालों के लड़ाई की चर्चा बहुत होती है, मगर भू-स्वामी भी झगड़ा नहीं करना चाहते हैं और पर्चाधारी भी झगड़ा करना नहीं चाहते हैं, फिर भी झगड़ा बन जाता है कि मालिक का नाम किसी का, जमीन है किन्हीं का, खाता कहीं का, खेसरा कहीं का और पर्चा बाँट दिया । इस तरह से कई ऐसे छोटे-छोटे मामले जो गाँव में बड़े मामले बनते हैं, जो परिवार के लड़ाईयों के, समाज के लड़ाईयों के, दो जाति, दो धर्म, दो सम्प्रदाय, दो गाँव के लड़ाईयों के कारण बनते हैं, उन तमाम कारणों के निवारण के लिये भी सरकार को सचेष्ट रहना चाहिये । चूँकि समय का अभाव है, इसलिये मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त कर देना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : श्री रामदेव वर्मा ।